न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **572 / 2022**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. कोजाराम पुत्र देवाराम 2. रिडमलराम पुत्र देवाराम 3. सुमेलाराम पुत्र पुत्र देवाराम जातियान– जाट, निवासी– ग्राम तेजासर तहसील आउ जिला जोधपुर।		1. जालाराम पुत्र गोविन्दराम 2. भोमाराम पुत्र गोविन्दराम 3. राजूराम पुत्र गोविन्दराम 4. अशोक पुत्र गोविन्दराम नाबालिग वली भाई राजूराम जातियान– जाट, निवासी– ग्राम तेजासर तहसील आउ जिला जोधपुर। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आउ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.10.2022 उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15 / 2022 अनवान सरकार बनाम कोजाराम वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल, अपीलान्टस की ओर से।

2–श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 1 ता 4 की ओर से ।

3– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 10 जुलाई, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 5 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम तेजासर के खेत ख0सं0 1952 / 1, 1939, 1952 / 2, 1954 / 2, 1952 / 4, 1952, 1954, 1957, 1956, 1953 / 6, 1954 / 1, 1954 / 4, 1956 / 1 में से होकर रास्ता गुजरता है जो कि पुराने समय से चालू है तथा वर्तमान में भी चालू है। उक्त प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया जिसे लाल स्याही से दर्शाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज कर उपरोक्त खसरान के खातेदारों की सहमति लिये बिना ही खसरान भूमि में से रास्ता निकाले जाने का आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 14.10.2021 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने अपील संख्या 341 / 2022 पेश की जो आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की जाकर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण, रिपोर्ट व नक्शा तैयार कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद यथोचित निर्णय पारित करें। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय में पुनः प्रकरण दर्ज किया। दर्ज प्रकरण में दिनांक 26.8.22 को बिना किसी आदेश व अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई रिपोर्ट व नक्शा प्रस्तुत हुआ तथा दिनांक 3.9.22 को अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए व पत्रावली दिनांक 7.10.22 को मुकर्रर ... दिनांक 14.10.22 को मौका रिपोर्ट पर प्रस्तुत आपत्तियों को सुने

किये बिना ही एकतरफा आदेश पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मौका फर्द के अनुसार रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया। जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया जिस कारण से यह अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावें।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 131 व 136 के प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। राजस्व रेकर्ड में किसी तरह की हुई लिपिकिय त्रुटि को ही शुद्ध करने का प्रावधान है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद होने के कारण रेकर्ड को बिना किसी आधार पर बदला नहीं जा सकता था।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित खसरान के खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही, बिना नोटिस तामली करवाये तथा उनकी सहमति लिये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न्यायालय के द्वारा पूर्व अपील में पारित निर्देशों की पालना नहीं की गई है तथा मौके की रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तथा बिना मौके पर जाकर तैयार की गई। वर्तमान मे उक्त खसरान में से कोई रास्ता नहीं चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण बहस में आये बिना ही व बिना बहस के ही उसका निस्तारण कर दिया गया और धारा 131, 136 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। ख0सं0 1952, 1952/1, 1952/2 तक ही रास्ता चल रहा है तथा राजस्व रेकर्ड में पूर्व दर्ज है। इसलिये अपीलार्थीगण के खसरों में से नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है। ख0सं0 1952 व उसके बटटा नम्बर कटाणी रास्ते से जुडे हुए है। इसलिये अपीलार्थीगण के खेत में से रास्ते का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2022 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व में दिनांक 14.10.2021 को अपीलाधीन आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 341/2022 पेश होने पर दिनांक 5.7.2022 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया था तथा अधिनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देशों के साथ हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की जाकर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण, रिपोर्ट व नक्शा तैयार कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद यथोचित निर्णय पारित करें।

आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज करते हुए वादग्रस्त भूमि की दिनांक 26.8.2022 को मौके की पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व कार्मिकों के द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट व व मौका नक्शा प्रस्तुत किया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 3.9.2022 को अपीलार्थी के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली में पेशी दिनांक 7.10.22 को मुकर्रर की गई। तत्पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.10.22 को अन्तिम आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ख0सं0 1939 व ख0सं0 1952/1 की रकबा भूमि में मौजूद प्रचलित कदीमी रास्ते को मौका फर्द दिनांक 26.8.22 के अनुसार गैर मुमकीन रास्ता में परिवर्तन करने व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती व अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार आउ को दिये गये, तथा पूर्व में जारी शेष आदेश को यथावत रखा गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए ही नये रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में ऐसे कोई ठोस कारण नहीं दर्शाये है जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलाधीन आदेश के द्वारा की गई कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि हुई हो या अनियमितता दर्शित हुई हो। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2022 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि रास्ता सम्बन्धी आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 14.10.2021 को पारित किया गया, जिसकी अपील न्यायालय हाजा में की गई। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 5.7.2022 को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशों के अनुसार पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया व तहसीलदार, आउ से मौका रिपोर्ट चाही गई व उक्त मौका फर्द दिनांक 26.8.2022 के अनुसार रास्ते के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये व शेष आदेश दिनांक 14.10.2021 यथावत रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट संख्या 2 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए व शेष अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं हुए। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2022 को आदेश हितबद्ध पक्षकारान की सुनवाई व मौका रिपोर्ट तलब की जाकर पारित किया जाना पाया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुजांइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2022 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 10 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।